

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 74/2018

प्रार्थी-

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य
सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण-

1. अशोक कुमार पुत्र नेमीचन्द जाति
जैन निवासी जूना केराडू मार्ग
बाड़मेर (मैसर्स अरिहन्त ऑयल
प्रोडक्ट कृषि उपज मण्डी बाड़मेर
मुनीम)
2. श्रीमती मन्जू देवी पत्नी अशोक
कुमार जाति जैन निवासी जूना
केराडू मार्ग बाड़मेर (मैसर्स अरिहन्त
ऑयल प्रोडक्ट कृषि उपज मण्डी
बाड़मेर सोल प्रोप्राईटर)
3. राकेश कुमार पि मिश्रा नोमिनी
व्यक्ति गुजराज अम्बूजा एक्स0 लि.,
सोलवेन्ट यूनीट-2 यूनीट-3 ऑयल
मिल, रिफायनरी 1 2 3, वनस्पति
यूनिट फ्लोर मिल, थोर रोड, कडी
382715 जिला मेहसाणा गुजरात


परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 52 खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री मुकेश जैन, अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 28.07.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की
उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 52 खाद्य सुरक्षा और मानक
अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य
सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह  अप्रार्थी

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

संख्या 2 की फर्म मैसर्स अरिहन्त ऑयल प्रोडक्ट कृषि उपज मण्डी बाडमेर पर निरीक्षण दिनांक 03.08.2017 को विक्रय हेतु अलग-अलग कार्टूनों में रखा गया खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल ब्राण्ड अम्बूजा (500 एमएल), को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 500-500 एमएल रिफाइण्ड सोयाबीन तेल ब्राण्ड अम्बूजा (500 एमएल) की कुल 4 बोतलें वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या पी-807 अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल ब्राण्ड अम्बूजा (500 एमएल) का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल ब्राण्ड अम्बूजा (500 एमएल) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाडमेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 और 2 ने जवाब प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण की फर्म से लिया गया नमूना मिथ्याछाप नहीं है। जनविश्लेषक को नमूना की रासायनिक जांच करने का दायित्व होता है, आंखों से देखकर नमूने को मिथ्याछाप रिपोर्ट करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाते समय कोई स्वतंत्र गवाह नहीं रखे गये थे। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही गलत एवं सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।
3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 2 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 17.08.2017 में उक्त






न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अप्र. जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

खाद्य पदार्थ का नमूना मिथ्याछाप खाद्य पाया गया। अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम व इसके अधीन बनाये गये विनियमों के परिप्रेक्ष्य में सुसंगत नहीं है तथा अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य पदार्थों की मानकता एवं गुणवत्ता के प्रति अपने दायित्व से विमुख होते हुए सारहीन जवाब प्रकट किया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णय नजीर 2013(2)क्राइम्स142(झार.) एवं 2016(2)एफएसी533 प्रस्तुत की गई जिसमें विवेचित प्रकरणों के तथ्य हस्तगत प्रकरण से मेल नहीं खाते हैं। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरुद्ध अपराध धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से रूपये 25,000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

आदेश आज दिनांक 28.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

